



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15042021-226616
CG-DL-E-15042021-226616

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1503]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 13, 2021/चैत्र 23, 1943

No. 1503]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 13, 2021/CHAITRA 23, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2021

का.आ. 1614(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट NH-154 के किमी. 190.00 किमी. से 208.00 किमी तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH-154 तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	उपमंडल अधिकारी (ना.) मण्डी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH154 के कि.मी. 190 से 208 तक	हिमाचल प्रदेश	मंडी	मंडी	1
						2
						3

[फा. सं. NHAI/PIU-PALM/HP/11016/2/LA/2021]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2021

S.O. 1614(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 190.00 to Km. 208.00 of the NH-154 for building (widening / two-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of HIMACHAL PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH-154 in the State of HIMACHAL PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village						
1	2	3	4	5	6	7						
1	Sub Divisional Officer (C) Mandi	190KM To 208KM	HIMACHAL PRADESH	MANDI	Mandi	<table><tr><td>1</td><td>Nasloh</td></tr><tr><td>2</td><td>Rao</td></tr><tr><td>3</td><td>Shila Kipad</td></tr></table>	1	Nasloh	2	Rao	3	Shila Kipad
1	Nasloh											
2	Rao											
3	Shila Kipad											

[F. No. NHAI/PIU-PALM/HP/11016/2/LA/2021]

RAJESH GUPTA, Director